**£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®**

**BÉEÉäªÉãÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ**

**®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ**

**iÉÉ®ÉÆÉÊBÉEiÉ |É¶xÉ ºÉÆJªÉÉ 160**

**ÉÊVÉºÉBÉEÉ =kÉ® 16 fnlEcj, 2013 BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ cè**

**jkT; ds ljdkjh {ks= ds miØeksa dks dks;yk HkaMkjksa dk vkcaVu**

**¯160 Jh fnyhi dqekj frdhZ %**

# D;k **dks;yk ea=h** ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

D;k ea=ky; jkT;ksa esa dks;ys dh c<+rh gqbZ ekax dks iwjk djus ds fy, jkT; ds [kuu lacaèkh ljdkjh {ks= ds miØeksa ds i{k esa i;kZIr dks;yk HkaMkjksa dk vkcaVu djus dk fopkj j[krk gS\

**=kÉ®**

**BÉEÉäªÉãÉÉ àÉÆjÉÉÒ (gÉÉÒ gÉÉÒ|ÉBÉEÉ¶É VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ)**

एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

¯¯¯¯¯

**राज्‍य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को कोयला भण्‍डारों के आबंटन के बारे में श्री दिलीप कुमार तिर्की द्वारा दिनांक 16.12.2013 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न सं0 160 के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण**

**----**

कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए विभिन्‍न राज्‍यों की सरकारी कंपनियों / निगमों को कोयला भंडारों का आबंटन एक सतत प्रक्रिया है । वर्ष 2012 से पूर्व केन्‍द्र तथा राज्‍य सरकार की कंपनियों / निगमों को 100 कोयला ब्‍लॉक आबंटित किए गए हैं, 3 कोयला ब्‍लॉक संयुक्‍त रूप से सरकारी तथा निजी कंपनियों को आबंटित किए गए हैं । इनमें से सरकारी कंपनियों / निगमों को आबंटित 21 कोयला ब्‍लॉकों का आबंटन रद्द कर दिया गया है ।

हाल ही में ‘कोयला खान नियमावली, 2012 की प्रतिस्‍पर्धी बोली द्वारा नीलामी’ के प्रावधानों के अधीन कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2013 में खनन अन्‍त्‍य उपयोग हेतु निर्धारित तीन कोयला ब्‍लॉकों को बिहार, झारखण्‍ड, मध्‍य प्रदेश, छत्‍तीसगढ़ तथा ओडिशा की राज्‍य खनन कंपनियों/ निगमों को आबंटित करने का निर्णय लिया है । इसके अलावा, अन्‍त्‍य उपयोग अर्थात विद्युत के लिए सरकारी कंपनियों / निगमों / सीपीएसयू को 14 कोयला ब्‍लॉक आबंटित किए गए हैं । नियम में प्रतिस्‍पर्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्‍यम से विशिष्‍ट अन्‍त्‍य उपयोग हेतु कोयलाधारी क्षेत्र के आबंटन हेतु तथा टैरिफ के लिए प्रतिस्‍पर्धी बोली के आधार पर उस कंपनी अथवा निगम को आबंटित करने की व्‍यवस्‍था है जिसे विद्युत परियोजना अवार्ड की गई है ।

-----